16-9-25

# FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

रामकरण पुत्र कालूराम वगै0 बनाम प्रभूदयाल पुत्र नाहर वगै0

किस्म मुकदमा-विविध कैवियट प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 95/2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16.09.2025 | प्रार्थी की ओर से श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0 ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 11.02.2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश की गई थी। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान् से सम्बन्धित कोई वादपत्र/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र को न्यायालय में पेश हुए 90 दिवस से भी अधिक का समय हो चुका है। जिसके कारण उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से इस कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फैसल किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>( अनिल कुमार )<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्रीमाधोपुर (सीकर) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.23 17:19:59 IST
Reason: SelfAttested